रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082026-275684
CG-DL-E-22082026-275684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4454] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948
No. 4454] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

सं. 28/2026-27

विषय: मांस और मांस उत्पादों हेतु हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में।

का.आ. 4635(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा इजिप्ट में विनिर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों के निर्यात हेतु दिनांक 09.02.2026 की अधिसूचना सं. 59/2025-26 में निम्नानुसार संशोधन करती है:

2. अधिसूचना सं. 59/2025-26 दिनांक 09.02.2026 के पैरा 3 के तहत दूसरे बिन्दु को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

इजिप्ट हेतु: भारत अनुपालन मूल्यांकन स्कीम (आइ-सीएएस) – हलाल के तहत प्रमाणन निकायों की प्रणाली तत्परता और ऑनबोर्डिंग/मान्यता को सुविधाजनक बनाने हेतु, दिनांक 09.02.2026 की अधिसूचना सं. 59/2025-26 की तिथि से नौ (09) माह की अवधि के बाद से प्रभावी होगा।

3. अधिसूचना सं. 59/2025-26 दिनांक 09.02.2026 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

इस अधिसूचना का प्रभाव: इजिप्ट हेतु विनिर्दिष्ट मांस और मांस के उत्पादों के निर्यात के लिए अनिवार्य भारत अनुपालन मूल्यांकन स्कीम (आइ-सीएएस) के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित संक्रमण-कालीन अवधि को आगे तीन (03) माह की अवधि तक बढ़ाया गया है अर्थात, इजिप्ट की हलाल प्रमाणन निकायों की ऑनबोर्डिंग और मान्यता की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता हेतु दिनांक 09.02.2026 की अधिसूचना सं. 59/2025-26 की तिथि से छः (06) माह से नौ (09) माह किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/171/166/एएम 21/ईसी/ई-24267]

लव अग्रवाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2026

No. 28/2026-27

Subject: Streamlining of Halal Certification Process for Meat and Meat Products - regarding.

S.O. 4635 (E).— In exercise of powers conferred under Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment in Notification No. 59/2025-26 dated 09.02.2026 for the export of specified Meat and Meat products in Egypt.

2. The second point under Paragraph 3 of Notification No. 59/2025-26 dated 09.02.2026 shall be substituted as under:

For Egypt: Effect after a period of nine (09) months from the date of Notification No. 59/2025-26 dated 09.02.2026, to facilitate system readiness and onboarding/accreditation of certification bodies under the India Conformity Assessment Scheme (i-CAS)-Halal."

3. All other provisions of Notification No. 59/2025-26 dated 09.02.2026 shall remain unchanged.

Effect of this Notification: The transition period prescribed for implementation of the mandatory India Conformity Assessment Scheme (i-CAS)-Halal for exports of specified Meat and Meat Products to Egypt is extended by a further period of three (03) months, i.e., from six (06) months to nine (09) months from the date of Notification No. 59/2025-26 dated 09.02.2026, to facilitate completion of the onboarding and accreditation process of the Egyptian Halal certification bodies.

[F. No. 01/91/171/166/AM21/EC/e-24267]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA